भाग ख

पूंजी प्राप्तियां

पूंजी प्राप्तियों के अनुमान

निम्न विवरण में पूंजी प्राप्तियों के अनुमानों का मोटे तौर पर श्रेणीवार–ऋण-भिन्न और ऋण प्राप्तियों दोनों का संक्षिप्त ब्यौरा दिया गया है। इसके अतिरिक्त 2003-2004 के बजट अनुमानों और संशोधित अनुमानों के बीच तथा 2003-2004 के संशोधित अनुमानों और 2004-2005 के बजट अनुमानों के बीच होने वाली घट-बढ़ का स्पष्टीकरण देने वाली संक्षिप्त टिप्पणियों के साथ ब्यौरा इस विवरण के बाद की टिप्पणियों में दिया गया है। विवरण में शामिल उधार और अन्य ऋण वापसी-अदायगियों को घटाकर दिये गये हैं।

(करोड़ रुपए)

	बजट 2003-2004	संशोधित 2003-2004	बजट 2004-2005
1. ऋणों और अग्रिमों की वसूलियां	18023.10	64625.00	14100.00
2. सरकारी क्षेत्र के उद्यमों और विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों आदि में इक्विटी धारिताओं का विनिवेश	13200.00	14500.00	16000.00
3. बाजार ऋण	107194.00	85797.00	0502.00
4. अल्पावधि उधार	...	(-)2815.00	...
5. विदेशी सहायता (निवल)	3581.62	(-)11704.65	8076.52
6. लघु बचतों के एवज में जारी प्रतिभूतियां	...	60400.00	1350.00
7. राज्य भविष्य निधियां (निवल)	7500.00	5000.00	6000.00
8. गैर-सरकारी भविष्य-निधियों, जीवन बीमा निगम आदि की विशेष जमा राशियां (निवल)	9970.00	(-)450.62	...
9. अन्य प्राप्तियां (निवल)	25391.21	23270.71	16826.26
जोड़-पूंजीगत प्राप्तियां	**184859.93**	**238622.44**	**152854.78**

2003-2004 के अन्त में नकद शेष ऋण अदला-बदली योजना से पूंजीगत प्राप्तियों के आधिक्य के कारण है। इसका उपयोग 2004-2005 में 136452 करोड़ रुपए के राजकोषीय घाटे को वित्तपोषित करने के लिए किया जाएगा।

1. **ऋणों और अग्रिमों की वसूलियां**

केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों (विधानमंडल वाले) और गैर-सरकारी पक्षों को दिए गए ऋणों तथा अग्रिमों की वसूली का अनुमान इस प्रकार है:–

(करोड़ रुपए)

	बजट 2003-2004	संशोधित 2003-2004	बजट 2004-2005
वसूलियां:			
(i) राज्य सरकारों से	13216.63	57073.55	12585.99
(ii) संघ राज्य क्षेत्रों से (विधानमंडल वाले)	270.88	215.47	212.17
(iii) अन्यों से	4535.59	7335.98	1301.84
(क) विदेशी सरकारों से	57.14	21.95	68.84
(ख) सरकारी क्षेत्र के उद्यमों, सांविधिक निकायों आदि से	4478.45	7314.03	1233.00
जोड़-ऋणों और अग्रिमों की वसूलियां	**18023.10**	**64625.00**	**14100.00**
(क) राज्य सरकारों से वसूलियों में अल्पावधि अर्थोपाय अग्रिम सम्मिलित नहीं हैं	2000.00	2500.00	2000.00
(ख) गैर-सरकारी पक्षों से वसूलियों में सरकारी कर्मचारियों आदि से वसूलियां सम्मिलित नहीं हैं जिन्हें व्यय में से घटाया जाता है	500.00	500.00	525.00

(i) **राज्य सरकारों से वसूलियां**: वसूलियां राज्यों को दिए गए ऋणों के संबंध में हैं। संशोधित अनुमान 2003-04 में राज्य ऋण अदला-बदली योजना के अंतर्गत प्राप्तियां शामिल हैं।

(ii) **संघ राज्य क्षेत्रों (विधानमंडल वाले) से वसूलियां**: वसूलियां संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली को दिए गए ऋणों के संबंध में हैं।

(iii) **अन्यों द्वारा वापसी-अदायगी**: संशोधित अनुमान, 2003-2004 में राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को छोड़कर अन्य पक्षों, अर्थात् विदेशी सरकारों, सरकारी क्षेत्र के औद्योगिक और वाणिज्यिक उपक्रमों तथा वित्तीय संस्थाओं, नगरपालिकाओं, पत्तन न्यासों, निजी क्षेत्र की कम्पनियों और संस्थाओं,

सहकारी समितियों आदि द्वारा ऋणों की वापसी अदायगियों के रूप में 7335.98 करोड़ रुपए की प्राप्ति का अनुमान लगाया गया है। 2004-2005 के दौरान 1301.84 करोड़ रुपए की वापसी-अदायगियों का अनुमान लगाया गया है। इनका विस्तृत ब्यौरा इस प्रकार हैः–

(करोड़ रुपए)

		बजट 2003-2004	संशोधित 2003-2004	बजट 2004-2005
(क)	विदेशी सरकारें	57.14	21.95	68.84
(ख)	सरकारी क्षेत्र के उद्यम, सांविधिक निकाय, आदि	4478.45	7314.03	1233.00
	जोड़	**4535.59**	**7335.98**	**1301.84**

2. **सरकारी क्षेत्र के उद्यमों और विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों में इक्विटी धारिताओं का विनिवेश**

ये प्राप्तियां सार्वजनिक क्षेत्र के चुनिंदा उद्यमों की इक्विटी पूंजी में केन्द्रीय सरकार की धारिताओं के आंशिक विनिवेश के कारण हैं।

3. **बाजार ऋणः**

वर्ष 1992-93 में भारत सरकार ने दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी द्वारा बिक्री की योजना शुरू की, जिसका संचालन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। यह विशिष्ट ब्याज दरों पर ऋण जारी करके बाजार ऋण जुटाने की पहले की चल रही प्रथा से अलग था। नियत कूपन प्रतिभूतियों के अलावा, सरकार ब्याज रहित परन्तु छूट पर बेचे जाने वाले, जीरो कूपन बांड, किश्तों में भुगतान किये जाने वाले स्टाक, अस्थाई दर बांड, जिन पर ब्याज दरें प्रतिवर्ष संशोधित की जाती हैं, पूंजी सूचकांकित बांड आदि भी जारी करती है। वर्ष 2001-2002 से सरकार ने सरकारी स्टॉकों की खुदरा बिक्री करने की स्कीम भी प्रारम्भ की है।

वित्तीय वर्ष 2003–2004 के दौरान 15 जनवरी, 2004 तक एफआरबी के निर्गम के जरिए 16000 करोड़ रुपए सहित दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से सकल आधार पर कुल 109500 करोड़ रुपए की धनराशि जुटाई गई।

इसमें ऋण पुर्नखरीद योजना के अन्तर्गत वापस खरीद की गयी अपेक्षाकृत उच्च लागत की अनकदी सरकारी प्रतिभूतियों के एवज में 14434 करोड़ रुपए (अंकित) राशि की सरकारी प्रतिभूतियों के पुनर्निगम को गणना में नहीं लिया गया है।

योजना के अंतर्गत पुनः खरीदी गई सरकारी प्रतिभूतियों और उनके एवज में पुनः निर्गम की गई चार प्रतिभूतियों का ब्यौरा नीचे दिया गया हैः

(करोड़ रुपए)

क्रम सं.	**वापस खरीद की गई प्रतिभूति का नाम**	**राशि**
1.	13.85% सरकारी स्टॉक, 2006 (आईएनएसटीए)	870.00
2.	13.85% सरकारी स्टॉक, 2006	300.00
3.	12.50% सरकारी स्टॉक, 2007	145.00
4.	13.05% सरकारी स्टॉक, 2007	300.00
5.	12.15% सरकारी स्टॉक, 2008	1475.00
6.	12.22% सरकारी स्टॉक, 2008	205.00
7.	12.25% सरकारी स्टॉक, 2008	490.00
8.	11.50% सरकारी स्टॉक, 2009	3493.00
9.	12.25% सरकारी स्टॉक, 2010	985.00
10.	12.32% सरकारी स्टॉक, 2011	1538.00
11.	8.00% सरकारी स्टॉक, 2011	5.00
12.	11.50% सरकारी स्टॉक, 2011	884.00
13.	12.00% सरकारी स्टॉक, 2011	140.00
14.	10.25% सरकारी स्टॉक, 2012	181.00
15.	9.00% सरकारी स्टॉक, 2013	248.00
16.	12.40% सरकारी स्टॉक, 2015	1708.00
17.	10.47% सरकारी स्टॉक, 2015	570.00
18.	11.50% सरकारी स्टॉक, 2015	613.00
19.	10.45% सरकारी स्टॉक, 2018	284.00
	कुल	**14,434.00**

क्रम सं.	**वापस खरीद की गई प्रतिभूतियों के बदले में पुनः जारी की गई प्रतिभूतियों के नाम**	
1.	6.65% सरकारी स्टॉक, 2009	2886.80
2.	6.72% सरकारी स्टॉक, 2014	5773.60
3.	7.46% सरकारी स्टॉक, 2017	2886.80
4.	6.25% सरकारी स्टॉक, 2018	2886.80
	कुल	**14,434.00**

बजट अनुमान, 2004-2005

निम्नलिखित बाजार ऋणों को जिनकी बकाया राशि उनके सामने दर्ज कर दी गई है, वर्ष 2004-2005 में विमोचन के लिए देय हैः

(करोड़ रुपए)

11.50% सरकारी स्टॉक, 2004	4000.00
11.00% ऋण, 2004	12.43
12.35% सरकारी स्टॉक, 2004	1200.00
9.50% ऋण, 2004	320.59
12.59% सरकारी स्टॉक, 2004	6685.86
11.75% सरकारी स्टॉक, 2004	5645.57
6.50% ऋण, 2004	411.96
11.95% सरकारी स्टॉक, 2004	2500.00
11.98% सरकारी स्टॉक, 2004	8000.00
11.30% ऋण, 2004	539.56
जोड़	**29315.97**
जोड़ेंः 12.59% सरकारी स्टॉक, 2004*	5000.00
कुल जोड़	**34315.97**

* *विशेष प्रतिभूतियां विपणनीय प्रतिभूतियों में परिवर्तित की गईं।*

4. अल्पावधि उधार (364/91 दिवसीय राजकोषीय हुंडियां):

ये राजकोषीय हुंडियां वित्तीय संस्थाओं, बैंकों आदि को अल्पावधि निवेश अवसर प्रदान करती है। 364-दिवसीय राजकोषीय हुंडियों की अधिसूचित नीलामी राशि वर्ष 2002-2003 से प्रत्येक पंद्रह दिन में 750 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1000 करोड़ रुपए कर दी गई है। 91-दिवसीय राजकोषीय हुंडियों की साप्ताहिक नीलामी के लिए अधिसूचित राशि वर्ष 2003-04 के दौरान 250 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए कर दी गई हैं। 2002-03 और 2003-04 के दौरान विनिर्दिष्ट अवधियों के लिए अधिसूचित राशि 500 करोड़ रुपए से अधिक हुई है और यह 2003-04 के अंत में बकाया नकद कम होने का कारण हैं।

5. **विदेशी सहायता**

बजट 2003-2004 में 13202.40 करोड़ रुपए की सकल प्राप्तियों और 9620.78 करोड़ रुपए की पुनर्अदायगी का अनुमान लगाया गया है, जिसके परिणामस्वरूप, 3581.62 करोड़ रुपए की निवल विदेशी सहायता (विदेशी अनुदानों को छोड़कर) प्राप्त हुई।

बहुपक्षीय और द्विपक्षीय स्रोतों से उच्च लागत के ऋणों की समयपूर्व वापसी के निर्णय के कारण संशोधित अनुमान 2003-04 में विदेशी सहायता से निवल प्राप्ति (-)11704.65 करोड़ रुपए रखी गई है।

सुखद विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधियों और न्यून घरेलू बाजार दरों का लाभ उठाते हुए, सरकार ने फरवरी, 2003 के दौरान विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक से 2.73 बिलियन अमरीकी डालर की राशि के उच्च लागत वाले ऋणों की वापसी अदायगी की थी। वर्ष 2003-04 में नवम्बर, 2003 के दौरान सरकार ने 6517 करोड़ रुपए राशि के विश्व बैंक ऋण की समयपूर्व वापसी की थी और 9 स्रोतों से 5140 करोड़ रुपए की राशि के द्विपक्षीय ऋणों की समयपूर्व वापसी की प्रक्रिया चल रही है। इन समयपूर्व अदायगियों के निधिपोषण के लिए रुपया संसाधन सरकारी प्रतिभूतियों के भारतीय रिजर्व बैंक के पास निजी स्थापन के जरिए जुटाए गए हैं।

2003–2004 तथा 2004-2005 में विदेशी सहायता की प्राप्तियों और मूलधन की वापसी–अदायगियों के अनुमानों का सारांश नीचे दिया गया हैः

(करोड़ रुपए)

	बजट 2003-2004	संशोधित 2003-2004	बजट 2004-2005
क. प्राप्तियां			
(i) *विदेशी ऋण*	*12902.40*	*13089.61*	*14546.19*
(ii) *परिक्रामी निधि के अन्तर्गत प्राप्तियां*	*300.00*	*500.00*	*400.00*
कुल प्राप्तियांः	**13202.40**	**13589.61**	**14946.19**
ख. वापसी-अदायगियां	(-) **9620.78**	(-) **25294.26**	(-) **6869.67**
निवल प्राप्तियांः	**3581.62**	(-) **11704.65**	**8076.52**

और ब्यौरे इस दस्तावेज के अनुबंध 2 में दिए गए हैं।

6. **(क) राष्ट्रीय लघु बचत निधि**

लघु बचत योजनाएंः

इस समय जारी लघु बचत योजनाएं हैंः डाकघर बचत खाता, डाकघर आवधिक जमा 1,2,3 तथा 5 वर्ष, डाकघर आवर्ती जमा, डाकघर मासिक आय खाता, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र-VIII निर्गम, किसान विकास पत्र तथा लोक भविष्य निधि।

राष्ट्रीय लघु बचत निधिः (i) लघु बचत योजनाओं के अधीन सभी जमाराशियां भारतीय लोक लेखा में दिनांक 1.4.1999 को स्थापित "राष्ट्रीय लघु बचत निधि" (एनएसएसएफ) में जमा की जाती हैं। जमाकर्ताओं द्वारा सभी आहरण इस निधि में जमाराशि से किए जाते हैं। इस निधि में शेष राशि का विशेष सरकारी प्रतिभूतियों में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्णीत मानदंडों के अनुसार निवेश किया जाता है। डा0 वाई.वी.रेड्डी, तत्कालीन डिप्टी गर्वनर,भारतीय रिजर्व बैंक की अध्यक्षता में गठित प्रशासित ब्याज दरों तथा अन्य संबद्ध विषयों संबंधी विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के अनुसरण में, प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र(विधान मंडल वाले) में लघु बचत योजनाओं के अन्तर्गत एकत्रित समस्त धनराशि(अंशदाताओं द्वारा निकाली गई राशि को घटाकर सकल जमाराशि) को 1 अप्रैल, 2002 से उनकी विशेष प्रतिभूतियों में निवेश के रूप में संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (विधान मंडल वाले) सरकारों को दिया जा रहा है। इन सरकारी प्रतिभूतियों का ऋणशोधन निधि की आय है जबकि ब्याज की लागत और लघु बचत स्कीमों की प्रबंधन निधि का व्यय है।

(ii) "एनएसएसएफ को जारी" विशेष केन्द्रीय सरकारी प्रतिभूतियां भारत सरकार के आन्तरिक ऋण का हिस्सा होती हैं।

(iii) 1 अप्रैल, 2003 से राज्य सरकारों द्वारा जारी इन विशेष प्रतिभूतियों पर 9.50 प्रतिशत वार्षिक की दर पर ब्याज देय है।

एन.एस.एस.एफ. पर ऋण अदला-बदली स्कीम का प्रभावः वर्ष 2002-03 से राज्य सरकारों को भारत सरकार को देय उनके उच्च लागत के ऋण को अतिरिक्त बाजार उधारों और चालू लघु बचत अन्तणों के हिस्से सहित अदला-बदली को सुविधाजनक बनाने के लिए एक ऋण अदला-बदली को सुविधाजनक बनाने के लिए एक ऋण अदला-बदली योजना शुरू की गई है। वर्ष 2002-03 के दौरान राज्यों ने सितम्बर, 2002 से मार्च, 2003 तक 20 प्रतिशत लघु बचत हिस्से और अतिरिक्त बाजार उधारों सहित 13,766 करोड़ रुपए की राशि के उच्च लागत के ऋणों की अदला-बदली की। इसी प्रकार 2003-04 के दौरान (13 सितम्बर, 2003 तक) 30 प्रतिशत लघु बचत अन्तरणों और अतिरिक्त बाजार उधारों सहित 32602 करोड़ रुपए की राशि के उच्च लागत के ऋणों की अदला-बदली की जा चुकी है। ऋण अदला-बदली स्कीम के अन्तर्गत इस प्राप्तियों का प्रयोग केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय लघु बचत निधि को अपनी देनदारियों के पुनर्भुगतान में किया गया है। बदले में एन.एस.एस.एफ. ने ऐसे उन्मोचन से प्राप्त राशि का पुनर्निवेश बाजार से जुड़ी ब्याज दरों पर जारी भारत सरकार की नई प्रतिभूतियों में किया है।

स्रोत और उपयोगः

(i) राष्ट्रीय लघु बचत निधि के स्रोत और उपयोग नीचे दी गई सारणी-I में दर्शाए गए हैं:-

सारणी-I

31 मार्च की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय लघु बचत निधि के स्रोत तथा उपयोग

(करोड़ रुपए)

विवरण	वास्तविक 2002-2003 (अनान्तिम)	2003-2004 (सं. अ.)	2004-2005 (ब. अ.)
क. निधियों के स्रोत			
बचत जमाराशियां			
1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार बकाया देयताएं	105077.91	140216.26	186786.26
वर्ष के दौरान देयताओं में वृद्धि	35138.35	46570.00	51100.00
बचत प्रमाण-पत्र			
1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार बकाया देयताएं	149665.92	163420.33	175050.33
वर्ष के दौरान देयताओं में वृद्धि	13754.41	11630.00	15200.00
लोक भविष्य निधि			
1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार बकाया देयताएं	49313.10	60753.84	73453.84
वर्ष के दौरान देयताओं में वृद्धि	11440.74	12700.00	11900.00
कुल जमा राशि	**364390.43**	**435290.43**	**513490.43**
ख. निधियों का उपयोग			
दिनांक 31.3.1999 की स्थिति के अनुसार बकाया शेष राशियों के प्रति केद्र सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में निवेश			
1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार निवेश	176220.92	162455.34	115853.34
घटाइएः वर्ष के दौरान प्रतिभूतियों का उन्मोचन	(-) 13765.58	(-) 46602.00	...
वर्ष के दौरान अतिरिक्त निवेश	...	...	...
दिनांक 1.4.1999 से संग्रहित राशियों के प्रति केन्द्र सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में निवेश			
1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार निवेश	26049.69	26049.69	26049.69
वर्ष के दौरान अतिरिक्त निवेश	...	...	...
घटाइएः वर्ष के दौरान प्रतिभूतियों का उन्मोचन	...	...	(-) **450.00**
दिनांक 1.4.1999 से संग्रहित राशियों के प्रति राज्य सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में निवेश			
1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार निवेश	95219.86	147481.34	211981.34
वर्ष के दौरान अतिरिक्त निवेश	52261.48	64500.00	70000.00
घटाइएः वर्ष के दौरान प्रतिभूतियों का उन्मोचन	...	...	(-) **1350.00**
प्रतिभूतियों के उन्मोचन से प्राप्त राशियों में से केन्द्र सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में निवेश			
1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार निवेश	...	...	60400.00
वर्ष के दौरान अतिरिक्त निवेश	...	60400.00	1800.00
घटाइएः वर्ष के दौरान प्रतिभूतियों का उन्मोचन	...	...	...
प्रतिभूतियों में कुल निवेश	**335986.37**	**414284.37**	**484284.37**
संग्रहित बकाया आय/व्यय लेखा	4138.16	13902.25	15315.93
नकद शेष	24265.90	7103.81	13890.13
जोड़	**364390.43**	**435290.43**	**513490.43**

(ii) राष्ट्रीय लघु बचत निधि के विभिन्न संघटकों अर्थात (रा.ल.ब.नि. की प्राप्तियां,संवितरण, निवेश, आय और व्यय) के बारे में ब्यौरा जिसमें वर्ष 2002-2003 के "वास्तविक" (अनंतिम) ब.अ. और सं.अ. 2003-04 तथा ब.अ. 2004-05, **अनुबंध -8** में सारणीबद्ध किए गए हैं।

प्रावधान नहीं किया गया है।

(ख) सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए जमा योजनाएं

सेवानिवृत्त/सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए दो गैर-सांविधिक जमा योजनाएं हैं, अर्थात-सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए जमा योजना तथा सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों के सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए जमा योजना, जिन्हें भी केंद्र सरकार द्वारा संचालित किया जाता है। इन योजनाओं के अधीन संग्रहणों के बजट अनुमान नीचे सारणी II में दिखाए गए हैं :

सारणी II

(करोड़ रुपए)

विवरण	वास्तविक 2002-2003 (अनंतिम)	2003-2004 (सं. अ.)	2004-2005 (ब. अ.)
सकल	468.00	550.00	600.00
निवल	405.00	480.00	520.00

7. **राज्य भविष्य निधियां:** इस शीर्ष के अन्तर्गत दिखाए जाने वाले लेन-देन सरकारी कर्मचारियों की विभिन्न भविष्य निधियों से सम्बद्ध होते हैं। पूर्वानुमानित क्रेडिट निधियों में जमा की गई राशि ब्याज तथा उसमें से निकासियों/अस्थाई अग्रिमों सहित कम की गई निवल राशि है। पहली अप्रैल, 2003 से जमा रकमों पर 8 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज दिया जाता है। वर्ष 2003–2004 के बजट में इन निधियों में कुल 7500 करोड़ रुपए की निवल प्राप्ति का अनुमान था जिसकी तुलना में संशोधित अनुमान 5000 करोड़ रुपए रखा गया है। वर्ष 2004-2005 के बजट में 6000 करोड़ रुपए की निवल प्राप्ति का अनुमान है।

8. **विशेष जमा योजनाएं:** गैर-सरकारी भविष्य निधियों, अधिवर्षिता और उपदान निधियों और जीवन बीमा निगम, इसकी सहायक कंपनियां, कर्मचारी राज्य बीमा निगम आदि के लिए विशेष जमा स्कीमों के अंतर्गत निवल अधिशेष में ब्याज संदाय के पुनर्निवेश के कारण संग्रहण के खाते में प्राप्तियां अनुमानित थी।

सरकार ने दिनांक 30 जून, 2003 की स्थिति के अनुसार भविष्य निधियों आदि के लिए विशेष जमा स्कीमों की निधियों की अनुपलभ्यता अधिसूचित की है और निवल अधिशेषों पर नकद ब्याज भुगतान की व्यवस्था की है जिन्हें वृद्धिकारी संग्रहणों से संबंधित मार्गनिर्देशों के अनुसार निवेशित किया जाना है। संशोधित अनुमान चरण में इन प्राप्तियों में कमी स्कीम में उपर्युक्त परिवर्तन के कारण है।

9. **अन्य प्राप्तियां:** इनके अन्तर्गत अन्य निधियों और खातों, जमाराशियां आदि शीर्षों के अन्तर्गत होने वाले लेन-देनों के निवल प्रभाव को प्रदर्शित किया जाता है। इनमें सम्मिलित कुछ मदें इस प्रकार हैं:

(i) ***6.5 प्रतिशत बचत (करयोग्य-भिन्न) बांड, 2003*** की शुरुआत निवासी नागरिकों को किन्हीं मौद्रिक उच्चतम सीमाओं के बिना कर-मुक्त बांडों में अपनी बचत का निवेश करने में समर्थ बनाने के लिए 24 मार्च, 2003 को की गई थी। इन बांडों की परिपक्वता अवधि पांच वर्ष होगी और अर्धवार्षिक भुगतान योग्य होंगी व इन पर 6.50 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज मिलेगा। ये बांड भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 6 में यथापरिभाषित रिश्तेदारों को उपहार के तरीके के सिवाय अंतरणीय नहीं हैं। ये बांड द्वितीयक बाजार में व्यापार योग्य नहीं हैं तथा बैकिंग संस्थाओं से ऋण के लिए संपार्श्विक प्रतिभूति के लिए पात्र नहीं हैं।

(ii) ***8 प्रतिशत बचत (कर योग्य बांड), 2003*** की शुरुआत 21 अप्रैल, 2003 से शुरु की गई थी ताकि निवासी नागरिक/पुण्यार्थ संस्थाएं/विश्वविद्यालय बिना किन्हीं उच्चतम मौद्रिक सीमाओं के अपनी बचत इन कर योग्य बांडों में कर सकें। अर्धवार्षिक भुगतान योग्य 8 प्रतिशत प्रतिवर्ष के ब्याज वाले इन बांडों की परिपक्वता अवधि छः वर्ष होगी। ये बांड अंतरणीय नहीं हैं।

(iii) ***राहत बांड:*** 8 प्रतिशत राहत बांड जो 1.3.2002 को शुरु किए गए थे 28 फरवरी, 2003 को कारोबार समाप्त होने के साथ ही बंद कर दिए गए हैं।

(iv) ***7 प्रतिशत बचत बांड, 2002*** जो 1.10.2002 से शुरु किए गए थे दिनांक 28 फरवरी, 2003 को कारोबार समाप्त होने के साथ ही बंद कर दिए गए हैं।

सरकार ने अधिसूचित किया था कि उन राहत बांडों पर पश्च-परिपक्वता ब्याज देय होगा जो परिपक्व हो गए हैं परन्तु इनका नकदीकरण नहीं हुआ है अथवा परिपक्व हो रहे हैं तथा 9 प्रतिशत राहत बांड, 1987, 10 प्रतिशत राहत बांड, 1993, 9 प्रतिशत राहत बांड, 1993, 10 प्रतिशत राहत बांड, 1995, 9 प्रतिशत राहत बांड, 1999, 8.5 प्रतिशत राहत बांड, 2001 और 8 प्रतिशत राहत बांड, 2002 की स्कीमों के अंतर्गत जारी किए गए थे। यह अधिसूचित किया गया है कि ऐसे पश्च-परिपक्वता ब्याज वाले बांड उपर्युक्त सभी स्कीमों के संबंध में 28 फरवरी, 2003 को कारोबार बंद होते ही समाप्त हो जाएंगे।

(v) ***रेलवे प्रारक्षित निधियां:***

(करोड़ रुपए)

	बजट 2003-2004	संशोधित 2003-2004	बजट 2004-2005
रेलवे पेंशन निधि			
जमा	6544.31	6273.90	6582.57
नामे	6500.00	6100.00	6500.00
निवल	(+) 44.31	(+) 173.90	(+) 82.57
रेलवे मूल्यह्रास प्रारक्षित निधि			
जमा	2171.81	2499.96	2152.49
नामे	2000.00	2075.00	2000.00
निवल	(+) 171.81	(+) 424.96	(+) 152.49
रेलवे विकास निधि			
जमा	600.04	736.87	609.27

(करोड़ रुपए)

	बजट 2003-2004	संशोधित 2003-2004	बजट 2004-2005
नामे	600.00	675.00	600.00
निवल	(+) 0.04	(+) 61.87	(+) 9.27
रेलवे पूंजीगत निधि			
जमा	1.01	1.01	1.08
नामे	...	...	...
निवल	(+) 1.01	(+) 1.01	(+) 1.08
रेलवे सुरक्षा निधि			
जमा	435.74	435.74	403.74
नामे	433.00	433.00	401.00
निवल	(+) 2.74	(+) 2.74	(+) 2.74
विशेष रेलवे सुरक्षा निधि			
जमा	2310.00	2400.00	2795.00
नामे	2310.66	2350.66	2795.00
निवल	(-) 0.66	(+) 49.34	...
जोड़	**(+) 219.25**	**(+) 713.82**	**(+) 248.15**

(क) *रेलवे पेंशन निधिः* रेलवे पेंशन निधि रेलवे कर्मचारियों के पेंशन प्रभारों को पूरा करने के लिए अभिप्रेत है। हर साल इस निधि में उपयुक्त रकम अन्तरित की जाती है और यह रकम राजस्व और पूंजी व्यय शीर्षों में नामे डाल दी जाती है। पेंशन संबंधी प्रभारों को शुरू में राजस्व शीर्ष के भाग के रूप में पूरा किया जाता है और बाद में निधि से उसकी भरपाई की जाती है। वर्ष 2003-2004 में निधि में 6273.90 करोड़ रुपए की रकम जमा होने का अनुमान है जिसमें निधि की बकाया रकमों पर सामान्य राजस्व द्वारा देय ब्याज के रूप में 73.90 करोड़ रुपए शामिल था। निधि से 6100 करोड़ रुपए निकाले जाने का अनुमान था। वर्ष 2004-2005 के दौरान इस निधि में 82.57 करोड़ रुपए के ब्याज सहित 6582.57 करोड़ रुपए की रकम जमा होने के अनुमान हैं। इसकी तुलना में 6500 करोड़ रुपए की रकम की निकासी का अनुमान है।

(ख) *रेलवे मूल्यह्रास प्रारक्षित निधि :* इस निधि में सुधारात्मक कार्यों सहित परिसम्पत्तियों के प्रतिस्थापन और नवीकरण की व्यवस्था की जाती है। अनुमान है कि इस निधि में 2003-2004 में सामान्य राजस्व से 132.96 करोड़ रुपए के ब्याज की अदायगी सहित अंशदान 2499.96 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। 2003-2004 में 2075.00 करोड़ रुपए के बहिर्गमन का अनुमान है। 2004-2005 के संबंध में क्रेडिट 2152.49 करोड़ रुपए होने का अनुमान है जिसमें ब्याज से संबंधित 152.49 करोड़ रुपए शामिल है। निकासी 2000.00 करोड़ रुपए होने का अनुमान है।

(ग) *रेलवे विकास निधिः* रेलवे विकास निधि की स्थापना 1950 में रेलवे अभिसमय समिति, 1949 की सिफारिशों के आधार पर की गई थी जिसका उद्देश्य यात्रियों के लिए और रेलों का उपयोग करने वाले अन्य लोगों के लिए सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए किए जाने वाले सभी निर्माण कार्यों का खर्च, श्रमिक कल्याण कार्य संबंधी खर्च तथा उन सभी अलाभकारी सुधार कार्यों का खर्च पूरा करना है, जिनमें से प्रत्येक कार्य के लिए निर्धारित सीमा से अधिक खर्च होता है। दिनांक 1.4.93 से दुर्घटना क्षतिपूर्ति और यात्री सुविधा निधि को समाप्त किए जाने के परिणाम स्वरूप ए.सी.एस.पी.एफ. को प्रभार्य सुरक्षा और यात्री सुविधा कार्यो को भी अब रेलवे विकास निधि में प्रभारित किया जाता है। इस निधि के लिए धन की व्यवस्था रेलों के आधिक्य, यदि कोई हो, के उस भाग के विनियोग से की जाती है, जिसका सरकार द्वारा निर्धारण किया जाता है और जिसकी स्वीकृति संसद द्वारा दी जाती है। यदि रेलवे आधिक्य के एक भाग की रकम निधि में अंतरित करने के बाद इस निधि में इकट्ठी होने वाली रकम उन कार्यों के खर्चों को पूरा करने के लिए काफी न हो जिसका खर्च इस निधि से पूरा किया जाता है, तो निधि में जमा करने के लिए सामान्य राजस्व निधि से ब्याज पर ऋण लिए जाते हैं। वर्ष 2003-2004 के दौरान रेलवे विकास निधि को 736.87 करोड़ रुपए के क्रेडिट का अनुमान लगाया गया था, 730.00 करोड़ रुपए वर्ष 2003-2004 में अधिक हुई अनुमानित राशि में से और 6.87 करोड़ रुपए निधि में शेष राशि पर सामान्य राजस्व द्वारा देय ब्याज के रूप में होगा। वर्ष 2003-2004 के दौरान निधि में से निकाली गई राशियां अनुमानतः 675.00 करोड़ रुपए हैं। 2004-2005 के दौरान निधि मे क्रेडिट 609.27 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए है, 600.00 करोड़ रुपए 2004-2005 में अधिक होने वाली अनुमानित राशि में से और 9.27 करोड़ रुपए निधि में शेष राशि पर देय ब्याज के रूप में होगा। वर्ष 2004-2005 के दौरान निकाली गई राशियां 600.00 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया है, जिसमें निधि को प्रभार्य कार्य शामिल होंगे।

(घ) *रेलवे पूंजी निधिः* को 1992-93 से आरम्भ किया गया था। इस निधि का सृजन इसलिए किया गया है कि रेलवे के आधारभूत ढांचे का निर्माण करने के लिए रेलवे आन्तरिक रूप से सृजित संसाधनों के एक भाग का उपयोग कर सके। पूंजीगत निधि का वित्तपोषण करने में रेलवे राजस्वों के कम पड़ने की स्थिति में निधि में क्रेडिट करने हेतु सामान्य राजस्व से सब्याज ऋण लिया जाता है। वर्ष 2003-2004 के दौरान निधि में जमा राशि 1.01 करोड़ रुपये होने का अनुमान है जो पूर्णतः वह ब्याज है, जो निधि में बकाया राशि पर सामान्य राजस्व द्वारा देय होता है। वर्ष 2004-05 के दौरान उस निधि में 1.08 करोड़ रुपए की राशि जमा की जाएगी, जो निधि में बकाया राशि पर देय ब्याज को प्रदर्शित करती है। वर्ष 2003-04 तथा 2004-05 में किसी निकासी का विचार नहीं है।

(ङ) *रेलवे सुरक्षा निधिः* इसका सृजन व्यक्ति की तैनाती रहित लेवल क्रासिंग के परिवर्तन और अत्यधिक यातायात वाले लेवल क्रासिंगों में रेलवे पुलों के निर्माण से संबंधित सुरक्षा कार्यो के वित्त पोषण के लिये दिनांक 1.4.2001 से किया गया है। इस निधि का वित्तपोषण रेलवे राजस्वों अर्थात् सामान्य राजस्वों को लाभांश भुगतान के बाद बच गई अतिरिक्त "धनराशि", केंद्रीय सड़क निधि से सरकार द्वारा निधियों के अंतरण और सामान्य राजस्वों को भुगतान किये जा रहे लाभांश से रेलवे सुरक्षा निर्माण कार्यो के लिए इस समय किये जा रहे अंशदान से किया जाएगा। यह बिना ब्याज वाली निधि है। इस निधि में 2003-2004 के दौरान जमा राशि 435.74 करोड़ रुपए रखी गई है। निधि से 433.00 करोड़ रुपए के आहरण किये जाने का अनुमान है। 2004-2005 के दौरान 403.74 करोड़ रुपए का क्रेडिट तथा 401.00 करोड़ रुपए के आहरण का अनुमान है।

(च) *विशेष रेलवे सुरक्षा निधिः* रेलवे सुरक्षा पुनरीक्षण समिति (1998) की सिफारिश के अनुसरण में वर्ष 2001-02 में विशेष रेलवे सुरक्षा निधि की स्थापना की गई है, जिससे 6 वर्षों की निश्चित अवधि में प्रतिस्थापन संबंधी बकायों को निपटाया जा सके तथा बहुत पुरानी रेलवे परिसम्पत्तियों का नवीकरण किया जा सके। इस प्रयोजन के लिए, जैसा कि सरकार द्वारा सहमति प्रदान की गई है, 12,000 करोड़ रुपए की राशि वित्त मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाएगी तथा शेष 5000 करोड़ रुपए की राशि यात्री किराए पर सुरक्षा उप-प्रभार लगा कर रेलवे द्वारा जुटाई जाएगी। विशेष रेलवे सुरक्षा निधि ब्याज रहित निधि है।

चालू वर्ष के दौरान, 2400 करोड़ रुपए की राशि इस निधि में क्रेडिट की जा रही है, जिसमें सामान्य राजस्व से प्राप्त 800 करोड़ रुपए तथा रेलवे के हिस्से के रुप में 1600 करोड़ रुपए की राशि शामिल है। निधि में से बहिर्गमन की राशि भी 2350.66 करोड़ रुपए निर्धारित की गई है। 2004-2005 के दौरान, इस निधि में 2795 करोड़ रुपए का क्रेडिट होने का अनुमान है, जिसमें से सामान्य राजस्व द्वारा 2075 करोड़ रुपए अंतरित किए जाएंगे तथा 720 करोड़ रुपए रेलवे के हिस्से के रुप में होंगे। वर्ष 2004-2005 के दौरान इस निधि से 2795 करोड़ रुपए की निकासी निर्धारित की गई है।

(iv) ***अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं***

(क) अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में भारत के अभिदान/अंशदान के लिए जारी की गई विशेष प्रतिभूतियों तथा (ख) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ हुए कतिपय लेनदेन, जिनमें विशेष आहरण अधिकारों का उपयोग अंतर्निहित है, संबंधी अनुमान निम्न सारणी में दिए गए हैं:

(करोड़ रुपए)

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान	बजट 2003–2004			संशोधित 2003–2004			बजट 2004-2005		
	प्राप्तियां	भुगतान	निवल	प्राप्तियां	भुगतान	निवल	प्राप्तियां	भुगतान	निवल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष	714.06	...	714.06	1265.49	2598.19	(-) 1332.70	912.00	2500.04	(-) 1588.04
2. अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक	116.20	53.20	63.00	...	86.50	(-) 86.50	0.01	86.50	(-) 86.49
3. अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ	0.01	...	0.01	3.93	...	3.93	0.01	...	0.01
4. अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि	20.00	21.00	(-) 1.00	18.40	19.20	(-) 0.80	23.00	0.42	22.58
5. एशियाई विकास बैंक	6.51	...	6.51	40.68	...	40.68	0.01	2.00	(-) 1.99
6. अफ्रीकी विकास निधि और बैंक	9.08	4.36	4.72	9.08	4.30	4.78	9.08	4.12	4.96
जोड़	**865.86**	**78.56**	**787.30**	**1337.58**	**2708.19**	**(-)1370.61**	**944.11**	**2593.08**	**(-) 1648.97**
एस.डी.आर.	***812.80***	***807.78***	***5.02***	***1342.12***	***1300.47***	***41.65***	***985.25***	***977.53***	***7.72***

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष : कोष के करार-अनुच्छेद के मूल्य अनुरक्षण उपबंध के अन्तर्गत सदस्यों द्वारा सामान्य संसाधन खाते में धारित मुद्राओं के मूल्य को विशेष आहरण अधिकार (एस.डी.आर.) के रुप में बनाए रखना जरूरी है और इस उपबन्ध के अनुसार कोष में किसी सदस्य की मुद्रा की धारिता में उस समय समायोजन किया जाता है जब किसी प्रचालन में उस मुद्रा का प्रयोग हो या कोष तथा दूसरे सदस्य के बीच लेन-देन हो अथवा जब कोष ऐसा करने का निर्णय करे या सदस्य ऐसा करने का अनुरोध करे। वर्ष 2003-2004 के दौरान हमने इस शीर्ष के अंतर्गत 714.06 करोड़ रुपए प्रावधान रखा था। 30 अप्रैल, 2003 को अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को 1265.49 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। वर्ष के शेष भाग में किसी और व्यय की संभावना नहीं है। वर्ष 2004-2005 में बजट अनुमान के रुप में 912.00 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है।

आई.एम.एफ. खाता संख्या 1 में रुपया शेष राशियों के कम हो जाने पर 2004-2005 के दौरान आवश्यक हो गए पुनः खरीद लेन-देनों के कारण आई.एम.एफ. खाता संख्या 1 की पुनःपूर्ति के लिए रुपया प्रतिभूतियों को भुनाना आवश्यक हो गया है। आईएमएफ के वित्तीय लेनदेन योजना (एफटीपी) के अंतर्गत अनिवार्य व्यय (विशेष प्रतिभूति शोधन) के लिए सं.अ. 2003-04 में 2598.19 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है। एफटीपी के अंतर्गत, विशेष प्रतिभूति शोधन के लिए ब.अ. 2004-05 में 2500.04 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है।

विशेष आहरण अधिकार (एस.डी.आर): भारत अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के एस.डी.आर. आवंटन का भागीदार है। 1981 से भारत को आवंटित निवल संचित एस.डी.आर. 681.2 मिलियन बने रहे क्योंकि एस.डी.आर. का कोई नया आवंटन नहीं किया गया। एस.डी.आर. का उपयोग अतिरिक्त अभिदान की अदायगी सहित प्रभारों की अदायगी और पुनः क्रय संबंधी देनदारियों को पूरा करने के लिए किया जाता है।

कोष प्रत्येक धारक को उसके द्वारा धारित एस.डी.आर. पर ब्याज की अदायगी करता है और प्रत्येक भागीदार के निवल संचित आवंटन पर उसी दर से प्रभार लगाता है। कोष सभी भागीदारों के निवल संचित आवंटनों पर उनके एस.डी.आर. खाते के प्रशासन के संबंध में निर्धारण प्रभार भी लगाता है। प्रत्येक वर्ष के फरवरी, मई, अगस्त और नवम्बर के आरम्भ में निवल ब्याज अथवा निवल प्रभारों को व्यक्तिगत धारक खाते को जमा करके अथवा नामे डाल कर निपटाया जाता है।

भारत ने उसके द्वारा ली गई विभिन्न सुविधाओं के एवज में पुनःखरीद पहले ही पूरी कर ली है। अतएव, वर्ष 2003-2004 के दौरान इस शीर्ष के अंतर्गत कोई प्रावधान नहीं किया गया। वर्ष 2004-2005 के बजट अनुमान में किसी प्रावधान की आवश्यकता नहीं है।

खरीदारी तथा पुनः खरीदारी संबंधी लेन-देनों को लोक खाते में 'विशेष आहरण अधिकार' नामक शीर्षक में नामे/जमा के रूप में दिखाया जाता है। विशेष आहरण अधिकारों के रूप में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को जो अदायगियां की जाती हैं, उनको इस शीर्ष के अंतर्गत प्रतिपक्षी नामे डालकर सम्बद्ध व्यय शीर्षों में नामे डाल दिया जाता है। इसी प्रकार, विशेष आहरण अधिकारों के रूप में जो धनराशियां वसूल की जाती है उनको भी इस शीर्ष के अंतर्गत प्रतिपक्षी आधार पर नामे डालकर सम्बद्ध प्राप्ति शीर्षों में जमा के रूप में दिखा दिया जाता है। विशेष आहरण अधिकार नामक शीर्ष में संशोधित अनुमान 2003-2004 में कुल जमा की गई राशि 1342.12 करोड़ रुपए थी, जिसमें से एस.डी.आर. लेखे को 1342.12 रुपए प्रतिपक्षी डेबिट किए जाएगे। विशेष आहरण अधिकारों के नामे कुल राशि 2003-2004 के संशोधित अनुमान में 1300.47 करोड़ रुपए बैठती थी जिसमें से 1300.47 करोड़ रुपए एस.डी.आर. लेखे में प्रतिपक्षी रूप में जमा की जाएगी। वर्ष 2004-2005 के दौरान 985.25 करोड़ रुपए का क्रेडिट और 977.53 करोड़ रुपए का डेबिट होगा।

अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (आई.बी.आर.डी.): मूल्य संबंधी अनुरक्षण के रूप में 2003-2004 के बजट अनुमानों में 116.20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। भारत सरकार ने एमओवी देयताओं को डालर मूल्यवर्ग की प्रतिभूतियों में अंतरित करने का निर्णय लिया है इसलिए चालू वित्तीय वर्ष के दौरान एमओवी अदायगी की आवश्यकता नहीं पड़ी तथा आगामी वर्ष से इसकी आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए सं.अ. 2003-04 तथा व.अ. 2004-05 में कोई प्रावधान नहीं रखा गया है।

आई.बी.आर.डी. द्वारा प्रतिभूतियों के नकदीकरण के लिए बजट अनुमान, 2003-2004 और संशोधित अनुमान 2003-2004 में क्रमशः 53.20 करोड़ रुपए तथा 86.50 करोड़ रुपए की व्यवस्था शामिल थी। विश्व बैंक द्वारा वर्धित नकदीकरण की मांग को देखते हुए ब.अ. 2004-05 में 86.50 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है।

अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (आई.डी.ए.): अंतर्राष्ट्रीय विकास संघः बजट अनुमान 2003-2004 में 0.01 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था, जिसे संशोधित करके संशोधित अनुमान 2003-04 में 3.93 करोड़ रुपए कर दिया गया। बजट अनुमान 2004-2005 के लिए एक लाख रुपए का सांकेतिक प्रावधान किया गया है।

आईडीए की प्रतिभूतियों के नकदीकरण के लिए बजट अनुमान 2003-2004 और संशोधित अनुमान 2003-2004 में शून्य प्रावधान किया गया था। बजट अनुमान 2004-2005 के लिए भी प्रावधान शून्य रखा गया है।

अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि: भारत अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि के, जोकि संयुक्त राष्ट्रसंघ का एक विशिष्ट अभिकरण है, आरंभिक सदस्यों में से एक है। इसके आरंभ होने के समय से भारत ने अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि के संसाधनों में नवम्बर, 2003 तक 43 मिलियन डालर का अंशदान किया है। सिवाय 8 मिलियन अमरीकी डालर के जिसे पांचवीं पुनःपूर्ति की पहली और दूसरी किश्त के लिए भा. रि. बैंक के माध्यम से नकद भुगतान किया गया था, भुगतान भा.रि. बैंक द्वारा आईएफडी के पक्ष में धारित अपरक्राम्य निर्ब्याज रुपया प्रतिभूतियां जारी कर किए जाते है।

एशियाई विकास बैंक: एशियाई विकास बैंक रुपया प्रतिभूतियों को भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखता है, जिनको समय-समय पर भारत में रुपयों में किए गए खर्च को पूरा करने के लिए भुनाया जा सकता है। वित्तीय वर्ष 2003-2004 के दौरान प्रशासन संबंधी व्यय को पूरा करने के लिए भा.रि. बैंक के पास नकद शेष समुचित रहेगा इसलिए संशोधित अनुमान 2003-2004 और बजट अनुमान 2003-2004 के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। ब.अ. 2004-05 में 2 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है।

अफ्रीकी विकास निधि और अफ्रीकी विकास बैंक: की स्थापना मुख्यतया इस उद्देश्य से की गई थी कि उदार शर्तों पर वित्तीय सहायता देकर इस क्षेत्र का आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से और विकास किया जा सके। अफ्रीकी देशों के साथ घनिष्ठ आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत इन दोनों ही संस्थाओं में शामिल हो गया है।

अफ्रीकी विकास निधि और अफ्रीकी विकास बैक के सदस्य के रुप में भारत को इन संगठनों के पूंजी पुनर्भरणों की वचनबद्धता के अपने हिस्से का भुगतान करना है। एडीएफ VIII पुनःपूर्ति तक भारत ने अफ्रीकी विकास निधि के संसाधनों में कुल 122.48 करोड़ रुपए की राशि का अंशदान किया है। इससे भी बढ़कर भारत ने अफ्रीकी विकास निधि IX यू.ए.412 4340 अर्थात 24.74 करोड़ रुपए के अंशदान की वचनबद्धता दी है। यह राशि तीन किश्तों में अदा की जानी अपेक्षित है। एडीएफ IX के अधीन लगभग 16.50 करोड़ रुपए की पहली तथा दूसरी किश्त का भुगतान वर्ष 2002-2003 तथा 2003-04 को दौरान किया गया है। एडीएफ की वर्तमान नकदीकरण समय अनुसूची के आधार पर हमें वर्ष 2003-2004 में 3.53 करोड़ रुपए और वर्ष 2004-2005 में 3.35 करोड़ रुपए की प्रतिभूतियों का नकदीकरण करना है।

जीसीआई-IV तक भारत ने अफ्रीकी विकास बैक के पूंजी स्टाक में 5.40 करोड़ रुपए का अंशदान किया है। अफ्रीकी विकास बैंक के पूंजी स्टॉक की पांचवी सामान्य पूंजी वृद्धि (जीसीआई-V) के तहत भारत को 1860 शेयर आवंटित किये गये है। इनमें से 112 शेयर प्रदत्त हैं तथा शेष 1748 शेयर प्रतिदेय हैं। प्रदत्त शेयरों के प्रति भारत का अंशदान 1 यू.ए. = 1.20635 अमरीकी डालर की नियत विनिमय दर पर यू.ए. 1120000 के समकक्ष 13,51,112 अमरीकी डालर है। प्रदत्त शेयरों का भुगतान आठ समान वार्षिक किश्तों में किया जाएगा। अफ्रीकी विकास बैक को पहली किस्त का भुगतान नकद और दूसरी, तीसरी तथा चौथी किश्त का 3.18 करोड़ रुपए की किस्तों में मुक्त परिवर्तनीय मुद्रा में मांग पर नकदीकरण कराए जाने वाले नोटों में क्रमशः वर्ष 2000-2001, 2001-2002 और 2002-2003 तथा 2003-04 में अदा किए है। अफ्रीकी विकास निधि को 2004-2005 में पांचवी किस्त के 0.77 करोड़ रुपए का भुगतान मुक्त परिवर्तनीय मुद्रा में मांग पर नकदी कराए जाने वाले नोटों में किया जाएगा।

(vi) ***अन्य मदें:***

इन अनुमानों में, औद्योगिक और कोयला खान श्रमिकों के लिये परिवार पेंशन और जीवन बीमा निधि की जमा धनराशियों के साथ-साथ, डाक बीमा और जीवन वार्षिकी निधि तथा केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी सामूहिक बीमा निधियां, केन्द्रीय सरकारी क्षेत्रक के उपक्रमों की जमा राशियां, सुरक्षा जमा, न्यायालय जमा आदि शामिल है। वर्ष 2000-2001 के दौरान कच्चे तेल एवं पेट्रोलियम उत्पादों पर उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क की कटौती को देखते हुए तेल समन्वय समिति के जमा खाते के अधीन बकाया राशियों को अगले वर्ष के खातों में अग्रेनीत नहीं किया जा रहा है। यह प्रोफार्मा आधार पर किया जा रहा है।